एस0 आर0 डी0 ए0 वी0 पब्लिक स्कूल , पूर्णियाँ

दिनांक : 14/06/2024

सूचना

बिहार शिक्षा परियोजना , पूर्णियाँ के निर्देश के आलोक में सर्वशिक्षा अभियान के तहत बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के प्रयोजनार्थ अभिभावको को सूचित किया जाता है कि कमजोर एवं अलाभकारी वर्ग समूह के बच्चों का नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है ।उक्त वर्ग / समूह में आनेवाले अभिभावक अपने बच्चे का विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा नर्सरी में नामांकन हेतु ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदान करें । आवेदन करने की तिथि 14 जून 2024 से 29 जून 2024. ज्यादा जानकरी के लिए स्कूल वेब्साइट www.davpurnea.org पर देखें ।

Required Documents For Gyandeep Portal?

वे सभी स्टूडेंट्स जो कि, **ज्ञानदीप पोर्टल** पर दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए आपको **कुछ दस्तावेजों** की जरूरत पड़ेगी जो कि, इस प्रकार से हैं –

- जन्म प्रमाण पत्र / अस्पताल या नर्स अभिलेख / आंगनबाड़ी अभिलेख / बच्चे या अभिभावक द्धारा बच्चे की उम्र हेतु दिया गया घोषणा पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र,
- आय प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस / रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल,
- माता – पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के पश्चात बच्चे का आधार कार्ड),
- बच्चे का आधार कार्ड, नामांकन के समय अनिवार्य नहीं होगा किन्तु दाखिला लेने के 3 महिने के भीतर ही भीतर अनिवार्य तौर पर विद्यालय मे बच्चे का आधार कार्ड जमा करना होगा,
- माता – पिता या अभिभाव का मोबाइल नंबर और
- बच्चे का लेटेस्ट पासपोर्ट साइज रंगीन 50 केबी की तस्वीर आदि।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों की पूर्ति करके आप आसानी से **ज्ञानदीप पोर्टल** पर **दाखिला** लेकर आप आसानी से आवेदन कर सकते है और **दाखिला** प्राप्त कर सकते है।

फोन नं. 7464802804

बिहार सरकार

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

INDUS ACTION

ज्ञानदीप पोर्टल

http://gyandeep-rte.bihar.gov.in/

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(C) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से नामांकन हेतु सुनहरा मौका

उद्देश्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(C) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों (प्राइवेट स्कूल) में 25% अलाभकारी समूह (DG) एवं कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन किया जाना।

नामांकन हेतु पात्रता

अलाभकारी समूह – इस समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता–पिता/ वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/– (एक लाख रुपये) तक हो।

कमजोर वर्ग – इस वर्ग के अंतर्गत सभी जातियां/समुदाय के बच्चे जिनके माता–पिता/ वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/– (दो लाख रुपये) से कम हो।

आयु सीमा – वैसे विद्यार्थी जिनकी आयु 01 अप्रैल, 2024 तक 6 वर्ष से अधिक हो या 02 अप्रैल, 2016 से 01 अप्रैल, 2018 के बीच जन्म लिए बच्चे ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

महत्त्वपूर्ण दस्तावेज

जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र

आय प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र

माता–पिता या अभिभावक का आधार कार्ड

माता–पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर

बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो

नामांकन से संबंधित महत्त्वपूर्ण तिथियां

विद्यार्थियों का पंजीकरण : दिनांक 16 जून, 2024 तक

ऑनलाइन स्कूल आवंटन :

दिनांक 18 जून, 2024 से 19 जून, 2024 तक

चयनित विद्यार्थियों का सत्यापन एवं विद्यालय में प्रवेश :

दिनांक 20 जून, 2024 से 30 जून, 2024 तक

नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

- ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का सबसे पहले पंजीकरण किया जाएगा। अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल नंबर के साथ ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) कर सकते हैं।
- ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरने के दौरान माता–पिता या अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा।
- पंजीकरण (Registration) के बाद नामांकन फॉर्म भरने के लिए बच्चों का User ID पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा।
- इस User ID द्वारा लॉगिन करने के पश्चात् बच्चे के माता–पिता या अभिभावक शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के ज्ञानदीप पोर्टल http://gyandeep-rte.bihar.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भर सकेंगे।

ज्ञानदीप पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर : 08047092625 | ज्ञानदीप पोर्टल का ई–मेल आईडी : rtebiharhelp@gmail.com

नोट : नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ज्ञानदीप पोर्टल http://gyandeep-rte.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।